



Gyan Bharti Institute Of Management Studies

Jewari, Khirwa Road, Kanker Khera, Meerut-250001

Email- infogyanbharti@gmail.com Ph. -9756477788

Discipline Rules & Regulations

1. The College gives utmost priority for discipline and everyone, student or staff, is bound to follow the rules and regulation of the college and maintain strict discipline.
2. Keep your institution clean and respect the institute property. Destroying or damaging the institute property is punishable. Students should not destroy/damage/deface, remove the institute property, disturb or injure a person under the pretext of celebrating/inducting/pledging or for any other reason like rivalry etc.
3. Every student shall attend their classes regularly and punctually as 75% attendance is compulsory as per university norms.
4. Student should strictly follow the college timings, no late entry is allowed in any case.
5. Students shall behave with dignity and courtesy inside and outside the college.
6. It is compulsory for the student to wear college uniform inside the campus, I-Card are also to be worn round the neck.
7. Writing on walls/pillars, bathroom, furniture or white boards are strictly prohibited.
8. Student are advised to SWITCH OFF fan and light when they leave the classrooms.
9. RAGGING IS COMPLETELY BAN IN COLLEGE CAMPUS, IF ANY STUDENT FOUND INVOLVE IN ANY ACTIVITY RELATING TO RAGGING THEN HIS/HER ADMISSION WILL STRICTLY BE CANCELLED.
10. Possession of mobile phone during the college hours in the campus is strictly prohibited. Anybody found with a mobile or catch while using the mobile in college campus then mobile will not be returned in any case.
11. Student should deposit their college fees timely (if availed installment facility) on or before 15 November.
12. Student who wants to avail bus facility in between the session will have to pay full bus fees for the session.
13. Students who are not availing the bus facility but caught travelling in bus will be charged with full bus fees as fine.
14. While attending college functions, the student will conduct themselves in such a way as to bring recognition to themselves and to the institution.
15. Students are expected to read notice/circulars displayed on the college notice board. Ignorance of not reading any notice/circular displayed shall not be accepted as an excuse for failing to comply with the direction contained in it.
16. Students coming by two wheelers have to compulsorily wear Helmet. Two wheelers will not be parked without Helmet. Vechiles found parked in unauthorized places shall be impounded.

अनुशासन नियम और विनियमन

1. महाविद्यालय में अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशासन के उच्च मापदंड बनाए रखने के लिए महाविद्यालय के नियम-कानून का पालन करना सभी विद्यार्थियों व स्टाफ के लिए अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाएं रखे और महाविद्यालय की संपत्ति को किसी भी प्रकार से क्षति अथवा नुकसान पहुंचाना दंडनीय है। विद्यार्थियों को महाविद्यालय की संपत्तियों को तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, इसे विकृत करना अथवा अपने स्थान से हटाना वर्जित है।
3. प्रत्येक विद्यार्थी नियमित एवं समय से कक्षाओं में उपस्थित होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार कक्षा में ७५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय के समय का सभी विद्यार्थी अनिवार्यरूप से पालन करेंगे, बिलम्ब से आने पर किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में गरिमापूर्ण आचरण का पालन करें।
6. सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय में यूनिफार्म एवं परिचय पत्र के साथ आना अनिवार्य है।
7. महाविद्यालय की दीवारों, खंभों, बाथरूम, फर्नीचर, बोर्ड आदि पर कुछ भी लिखना, निशान बनाना वर्जित है।
8. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि कक्षा से बाहर निकलने पर पंखे और लाइट का स्विच अवश्य बंद कर दें।
9. महाविद्यालय प्रांगण में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
10. महाविद्यालय प्रांगण में मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि किसी के पास मोबाइल फोन पाया जाता है अथवा इसका प्रयोग करता है तो उसका फोन जब्त कर लिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा।
11. विद्यार्थियों को समय से महाविद्यालय का शुल्क जमा करना होगा। यदि उन्हें किश्तों की छूट मिली है तो शुल्क सत्र वर्ष के 15 नवंबर तक हर हाल में जमा कर दे।
12. सत्र के बीच में यदि कोई विद्यार्थी बस की सेवा लेता है तो उसे बस का पूरा शुल्क जमा करना होगा।
13. जिन विद्यार्थियों ने महाविद्यालय से बस की सेवा नहीं ली है, यदि बस में यात्रा करते पाए जाते हैं तो उनसे जुर्माने के रूप में बस का पूरा शुल्क लिया जाएगा।
14. महाविद्यालय में आयोजित होने वाले समारोह में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह गरिमापूर्ण व्यवहार से अपनी व संस्थान की पहचान बनाए रखने में मदद करें।
15. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह महाविद्यालय से निर्गत समस्त नोटिस, सूचना आदि को नोटिस बोर्ड पर अवश्य पढ़ें।
16. दोपहिया वाहनों से आने वाले छात्रों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालक को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**By Order-
College Management**